

राजस्व अनुभाग-3,
संख्या 780 /XVIII(3)/2017-02(61)/2017
दिनांक: देहरादून: ९ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, अधिसूचना संख्या 23/आट-भू0अ0(2015-16)पौड़ी, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 के क्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना जो कि एक महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन है, हेतु ग्राम दिखोल्थू, ब्लॉक खिर्सू, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल में कुल 0.640 है० नाप भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है।

इसलिए राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त परियोजना के अर्जन हेतु निम्नलिखित भू-खंड, जिसका खसरा नं० का कुल रकवा 0.640 हेक्टेयर है तथा जो ग्राम दिखोल्थू, ब्लॉक खिर्सू, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है, का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र० सं०	खाता संख्या	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है०में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	13	95	संयुक्त	कृषि	0.007	पातीराम पुत्र बुद्धिबल्लब इत्यादि	84	117	94	96	1	2		
2	12	96	संयुक्त	कृषि	0.084	पुष्पानंद पुत्र घनानंद इत्यादि	97	115	95	104		2		
3	17	106	संयुक्त	कृषि	0.020	योगेन्द्र प्रसाद, दिगम्बर प्रसाद पुत्रगण मुरलीधर	105	107	96	32		3		
4		107	संयुक्त	कृषि	0.116		106	108	131	32		9		
5	14	108	संयुक्त	कृषि	0.133	पातीराम पुत्र बुद्धिबल्लब इत्यादि	107	111	132	107		4		
6	8	109	संयुक्त	कृषि	0.005	देवेन्द्रभूषण पुत्र भगवान प्रसाद इत्यादि	108	159	111	160				
7	14	111	संयुक्त	कृषि	0.029	पातीराम पुत्र बुद्धिबल्लब इत्यादि	108	112	114	109		8		
8	12	112	संयुक्त	कृषि	0.015	पुष्पानंद पुत्र घनानंद इत्यादि	111	159	113	110		5		
9	9	115	संयुक्त	कृषि	0.128	देवीप्रसाद पुत्र रामप्रसाद इत्यादि	96	131	116	114		10		
10	23	131	संयुक्त	कृषि	0.062	शिवप्रसाद पुत्र जयदत्त इत्यादि	115	132	128	114	5	2		
11	24	132	संयुक्त	कृषि	0.031	सदानन्द पुत्र मंगनानन्द इत्यादि	131	133	127	114	4	8		
12	26	133	संयुक्त	कृषि	0.001	अधिशाली अभियन्ता,	132	139	138	114				
13		160	संयुक्त	कृषि	0.009	सिविल ग्रेफ गौचर	107	159	110	32				
योग-					0.640						10	53		

राज्यपाल को यह विश्वास हो गया है कि यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
टिप्पणी- जिला भूमि अर्जन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं उपजिलाधिकारी, श्रीनगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को योजना से सम्बन्धित भू-अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है।


(हरबंस सिंह धुध)
सचिव (प्रभारी), राजस्व
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या : 780 /XVIII(3)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में मुद्रित कराकर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को वेब साईट पर प्रसारण हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(जे0पी0 जोशी)

अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 720 dated 09/11/17 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA ANUBHAG-3
No. 289/XVIII(3)/2017-2(61)/2017
Dehradun: Dated: 09 November, 2017

Notification

Under sub-section (1) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Centre Act no 30 of 2013), in continuation of the Notification No. 23/Eight-L.A(2015-16) Pauri, dated 23 November, 2016, the Governor is pleased to declare that total 0.640 hectare land is required to acquire in the village Dikholyun, Block Khirsu, Tehsil Srinagar, District Pauri Garhwal for the important public purpose Rishikesh-Karanpryag Rail Line Project and the State Government is also satisfied for that purpose.

Therefore, the Governor is declare that the following plots for acquisition of the above project which Survey (Khasra) numbers and total area is 0.640 hectare and is situated at village Dikholyun, Block Khirsu, Tehsil Srinagar, District Pauri Garhwal and which detailed as follows:-

Sl. No.	Khata No.	Survey (Khata) No.	Type title	Type of land	Area under Acquisition (in hectare)	Name and address of person interested	Boundaries				Trees		Structures	
							N.	S.	E.	W.	Fruits	Forest	Type	Plinth Area (Sq.Mtr.)
1	13	95	Joint	Agriculture	0.007	Patiram S/o Budhi Ballabh etc.	84	117	94	96	1	2	-	-
2	12	96	Joint	Agriculture	0.084	Pushpanand S/o Ghananand etc.	97	115	95	104	-	2	-	-
3	17	106	Joint	Agriculture	0.02	Yogendra Prasad, Digambar Prasad S/o Murlidhar etc.	105	107	96	32	-	3	-	-
4		107	Joint	Agriculture	0.116		106	108	131	32	-	9	-	-
5	14	108	Joint	Agriculture	0.133	Patiram S/o Budhi Ballabh etc.	107	111	132	107	-	4	-	-
6	8	109	Joint	Agriculture	0.005	Devendrabhushan S/o Bhagwan prasad etc.	108	159	111	160	-	-	-	-
7	14	111	Joint	Agriculture	0.029	Patiram S/o Budhi Ballabh etc.	108	112	114	109	-	8	-	-
8	12	112	Joint	Agriculture	0.015	Pushpanand S/o Ghananand etc.	111	159	113	110	-	5	-	-
9	9	115	Joint	Agriculture	0.128	Deviprasad S/o Ramprasad etc.	96	131	116	114	-	10	-	-
10	23	131	Joint	Agriculture	0.062	Shivprasad S/o Jaidutt etc.	115	132	128	114	5	2	-	-
11	24	132	Joint	Agriculture	0.031	Sadanand S/o Magnanand etc.	131	133	127	114	4	8	-	-
12	26	133	Joint	Agriculture	0.001	Adhisashi Abhiyanta Civil Gref Gauchar	132	139	138	114	-	-	-	-
13		160	Joint	Agriculture	0.009		107	159	110	32	-	-	-	-
total					0.640						10	53		

The Governor is satisfied that this declaration is made after hearing of interested persons with the due investigation as provided in section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Centre Act no 30 of 2013).

Note- The interested person may be inspected the project land records in any working day of the office of the district land acquisition officer, Distt. Pauri and SDM Office Srinagar.

(Harbans Singh Chugh)
Secretary In-charge (Revenue)
Uttarakhand Secretariat